उ.प्र. में आजमगढ़ और मुजफ्फरनगर के गांवों का विद्युतीकरण

2594. **श्री मुनव्वर हसन**: क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) गत तीन वर्षो के दौरान उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फनगर और आजमगढ़ के कितने गांवो का विद्युतीकरण किया गया है;

(ख) 31 अक्तूबर 1998 की स्थिति के अनुसार कितने गांवों का विद्युतीकरण अभी किया जाना है; और

(ग) इन दोनों जनपदों के सभी गावों का विद्युतीकरण कब तक दिया जाएगा?

विद्युत मंती (श्री पी. आर . कुमारमंगलम): (क) गत तीन वर्षो के दौरन ग्रामीण विद्युतीकरण निगम कार्यक्रम के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश के मुजफ्फनगर और आजमगढ़ जिले में विद्युती कृत गांवों की संख्या नीचे दी गई है ;

		1995-96	1996-97	1997-98
मुजफ्फनगर	नये गावों का विद्युतीकरण	2	17	3
आजमगढ़	नये गावों का विद्युतीकरण	35	3	16

((ख) 31 अक्तूबर , 1998 की स्थिति के अनुसार अभी विद्युतीकृत किए जाने वाले गांवों की संख्या निम्नवत हैः—

जिला	**गैर-विद्युतीकरण गांवों की संख्या** 31.10.1998 **की स्थितिनुसार**
मुजफ्फरनगर	214
आजमगढ़	2523

(ग) ग्रामीण विद्युतीकरण एक सतत प्रक्रिया है तथा उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर और आजमगढ़ जोलों में शेष गांवों का विद्युतीकरण वित्तिय संसाधनों की उपलब्ध्ता म, राज्य में विद्युत आपूर्ति की स्थिति , पारेषण एवं वितरण प्रणालियोण के नेटवर्क तथा अन्य संबंधित घटकों पर निर्भर करता है।

राज्य में विद्युत का वार्षिक उत्पादन

2595. **श्री चीमनभाई हरिभाई शुक्ला** : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विगत पांच वर्षो के दौरान प्रतिवर्ष राज्य-वार कितनी मेगावट विद्युत उत्पादन किया गया तथा मांग और खपत कितनी-कितनी रही;

(ख) उक्त अवधि में, मांग ,खपत और उत्पादन के बीच अन्तर का पृथक-पृथक ब्यौरा क्या है;

(ग) नौवीं योजना के दौरान निजी और सरकारी क्षेत्रो में विद्युत उत्पादन क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है; और

(घ) केन्द्रीय विद्युत पूल में प्रत्येक राज्य के लिए आरक्षित विद्युत का प्रतिशत क्या है?

विद्युत मंत्री (श्री पी. आर. कुमारमंगलम): (क) और (ख) गत पंच वर्षो के दौरान उर्जा उत्पादन के राज्यवार आकड़े अनुबंध में दिये गये है , [**देखिए परिशिस्ट** 185, **अनुपत्र स.** 65] उर्जा की आवश्यकता, उपलब्धत ओर कमी के राज्यवार आकड़े अनुबंध में दिये गये है। [**देखिए परिशिष्ट** 185, **अनुपत्र स.** 65]

(ग) नौवी पंचवर्षिय योजना को अंतिम रूप प्रदान नही किया गया है।

(घ) सूचनाए अनुबंध में दी गई है । [**देखिए परिशिष्ट** 185, **अनुपत्र स.** 65]